

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
152 उदयपुर ग्रामीण (अ0ज0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की
धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

(नाम) श्री फूलसिंह मीणा

(पता) रेखा जनरल स्टोर, रोड न. 3,
पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर

भारतीय जनता पार्टी
रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: उदयपुर

दिनांक: 11 दिसम्बर 2018



John
हस्ताक्षर
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र 152-उदयपुर ग्रामीण (अजजा)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) गिर्वा

FORM 21C
(See rule 64)
(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from **152 UDAIPUR RURAL (ST)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI PHOOL SINGH MEENA (Name)

REKHA GENERAL STORE, ROAD NO.3, PUROHITO KI MADARI DIST.- UDAIPUR (Address)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Udaipur
Date: 11 Dec 2018



Signature.....
Returning Officer
विधानसभा क्षेत्र 152-उदयपुर ग्रामीण (अजजा)
(अपरसुपड अधिकारी एवं उपसुपड मजिस्ट्रेट) गिर्वा